भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 279

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

***279. श्री सनातन पांडेय:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित किए जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जुकाम और बुखार की दवाएं, रक्त जांच और अन्य चीजें, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड आदि जैसी बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं हैं और रोगियों को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक ग्राम सभा में कम-से-कम एक चिकित्सक/एक रोग विशेषज्ञ और एक भेषजज्ञ सहित उक्त सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं किस प्रकार सुनिश्चित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 अगस्त, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 279 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) से (ड.): देश की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र (ग्रामीण), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (शहरी और ग्रामीण) भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभ हैं।

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 3000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 20,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 1,20,000 (मैदानी क्षेत्रों में) और 80,000 (पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में) की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, जिला अस्पताल (डीएच), उप-जिला अस्पताल (एसडीएच) और प्रथम रेफरल इकाई द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मध्यम परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

दिनांक 31.07.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,73,881 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित और संचालित किए जा चुके हैं। इनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को रूपांतरित किया गया है। इनसे व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जा रही है। इन सेवाओं में 12 तरह की सेवाएं शामिल हैं, जिनमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। ये सभी सेवाएं सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के करीब हैं।

अनिवार्य औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने एनएचएम के तहत निःशुल्क औषधि सेवा पहल शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसएचसी स्तर पर 106 औषधियों, पीएचसी स्तर पर 172 औषधियों, सीएचसी स्तर पर 300 औषधियों, एसडीएच स्तर पर 318 औषधियों और जिला अस्पतालों में 381 औषधियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

यह मंत्रालय एनएचएम के अंतर्गत 'निःशुल्क निदान सेवा पहल' कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के निकट सुलभ और किफायती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल निदान सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। इसमें निःशुल्क प्रयोगशाला सेवाएं, निःशुल्क टेली रेडियोलॉजी सेवाएं और निःशुल्क सीटी स्कैन सेवाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत उप-केंद्रों पर 14, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97, उप-जिला अस्पतालों पर 111 और जिला अस्पतालों पर 134 जांचों का प्रावधान है।

कार्यशील एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाओं के चलते लोग अपने घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, जिससे रोगी को सुविधा केन्द्र पर जाने, परिचर्या की लागत, सेवा प्रदाताओं की कमी जैसी समस्याओं का समाधान होता है और परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित होती है। दिनांक 31.07.2024 की स्थिति के अनुसार आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयुष्मान मेलों सहित कुल 26.39 करोड़ टेली-परामर्श किए गए।

*****